



Neutral Citation No. - 2026:AHC:36302

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2268 वर्ष 2026

कुमकुम राय

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: चन्द्र कुमार राय

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. आज दायर पूरक शपथपत्र अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।
2. श्री चन्द्र कुमार राय, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा श्री आर.एस. उमराव, राज्य-प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
3. श्री आर.एस. उमराव, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता द्वारा निर्देश प्रस्तुत किए गए तथा यह निवेदन किया गया कि वे निर्देशों से पूर्णतः अवगत हैं और वे निर्देश इस रिट याचिका के निस्तारण हेतु पर्याप्त हैं, अतः वे कोई अतिरिक्त शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते तथा अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही याचिका का निर्णय किया जा सकता है। पक्षकारों की सहमति से रिट याचिका का निर्णय प्रारंभिक स्तर पर ही किया जा रहा है।
4. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि याचिकाकर्ता ग्राम सोंडसर, पोस्ट फैजुल्लापुर, ब्लॉक कोपागंज, जनपद मऊ की निवासी है तथा उसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा कुरथी जफरपुर,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कोपागंज, जनपद मऊ में बैंक सखी के रूप में नियुक्त किया गया था। तथापि, याचिकाकर्ता के अनुसार दिनांक 03.12.2024 को ब्लॉक विकास अधिकारी, कोपागंज, मऊ द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए एक नोटिस जारी किया गया। इसके पश्चात दिनांक 07.12.2024 को उद्यान प्रेरणा संकुल स्तरीय, ब्लॉक कोपागंज, मऊ द्वारा एक अन्य नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ता का कथन है कि उसने दिनांक 12.12.2024 को पंजीकृत डाक के माध्यम से अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, जो अभिलेख के पृष्ठ 27 पर परिशिष्ट-4 के रूप में संलग्न है तथा जिसका प्रत्याभूतिकरण दिनांक 22.01.2025 के दस्तावेज द्वारा, जो पृष्ठ 31 पर उपलब्ध है, दर्शित होता है। तत्पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 4, उप आयुक्त, स्व-रोजगार, मऊ, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 07.02.2025 को आक्षेपित आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता की सेवाओं से विमुक्ति का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 18.03.2025 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जो अभिलेख के पृष्ठ 37 पर उपलब्ध है।

5. प्रत्यर्थी संख्या 4, उप आयुक्त, स्व-रोजगार, मऊ, जनपद मऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2025 को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि दिनांक 03.12.2024 को नोटिस जारी होने के पश्चात दिनांक 07.12.2024 को एक अन्य संप्रेषण जारी किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.12.2024 को अपना जवाब प्रस्तुत किया, जिसका उल्लेख अभिलेख के पृष्ठ 31 पर दिनांक 22.01.2025 के संप्रेषण में भी परिलक्षित होता है। तथापि, उक्त प्रत्युत्तर पर विचार किए बिना ही दिनांक 07.02.2025 को आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया। यह भी निवेदित किया गया कि उक्त तथ्य को याचिकाकर्ता ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 18.03.2025 के माध्यम से भी प्रत्यर्थी संख्या 4 के संज्ञान में लाया था।

7. इसके विपरीत, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि यदि याचिकाकर्ता के तर्कों पर विचार नहीं किया गया है, तो इस प्रकरण पर पुनर्विचार किया जाना अपेक्षित है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।
9. प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता बैंक सखी के रूप में कार्यरत थी, जिसे दिनांक 03.12.2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा उसके पश्चात दिनांक 07.12.2024 को एक अन्य संप्रेषण किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में याचिकाकर्ता ने दिनांक 12.12.2024 को अपना जवाब प्रस्तुत करने का दावा किया है, तथापि दिनांक 07.02.2025 को याचिकाकर्ता की संलग्नता समाप्त करने का आदेश पारित कर दिया गया।
10. यह भी महत्वपूर्ण है कि दिनांक 12.12.2024 का प्रत्युत्तर, प्रत्यर्थीगण के दिनांक 22.01.2025 के संप्रेषण में उल्लिखित है तथा उक्त प्रत्युत्तर का उल्लेख याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 18.03.2025 को प्रस्तुत अभ्यावेदन में भी किया गया है।
11. तथापि, चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार नहीं किया गया है, अतः इस रिट याचिका का निस्तारण निम्न प्रकार से किया जाता है :—
 - (अ) प्रत्यर्थी संख्या 4, उप आयुक्त, स्व-रोजगार, मऊ, जनपद मऊ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 07.02.2025 निरस्त किया जाता है।
 - (ब) प्रकरण को पुनः संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रेषित किया जाता है, जो विधि के अनुसार पुनः आदेश पारित करेगा, जो कि प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर किया जाएगा।
12. याचिकाकर्ता की वर्तमान स्थिति यथावत रखी जाएगी तथा यह अंतिम आदेश के अधीन होगी।
13. शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से पक्षकार द्वारा प्रमाणित प्रति एवं रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति दिनांक 11.03.2026 तक संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी तथा प्राधिकारी उक्त कार्यवाही का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण करेगा।
14. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दिनांक : 18 फरवरी 2026

अशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”